आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारी सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या– 43/2018–19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

जयकिशोर मिश्रा ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

प्रमोद कुमार वगैरह .....द्वितीय पक्ष

14.02.2019 यह प्रक्रिया आवेदक जयकिशोर मिश्रा पिता– स्व0 बलभद्र मिश्रा, ग्राम– बराँव, थाना– सिमरा, जिला– औरंगाबाद, राज्य– बिहार ने 1. प्रमोद कुमार पिता– स्व0 घुरन साव, ग्राम– महाराजगंज, पो0– मटपा, थाना– कुटुम्बा, जिला– औरंगाबाद, राज्य– बिहार 2. तरूण कुमार शर्मा पित– शिव कुमार पाण्डेय, मकान सं0– 6/47 कॉलज रोड, तेली टोली जसपुरनगर, वार्ड सं0– 7, छतीसगढ़ के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन करने तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से संतुष्ट होकर विवादी भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवा टिप्पणी सहित
1	2	

कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारन पृच्छा की मांग की गयी। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:— मौजा— सतगांवा उर्फ हरिहरगंज, खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 524, रकबा— 0.03 3/4 एकड़, चौहद्दी, उतर— विनय जयसवाल, दक्षिण— 10 फीट का रास्ता विकेता का, पूरब— पी0 सी0सी0 रोड, पश्चिम— नीज विकेता।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि मौजा— सतगांवा उर्फ हरिहरगंज, खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 524, रकबा— 0.03 3/4 एकड़ चौहद्दी, उतर— विनय जयसवाल, दक्षिण— 10 फीट का रास्ता विकेता का, पूरब— पी0सी0सी0 रोड, पश्चिम— नीज विकेता की भूमि अवस्थित है। खाता सं0— 24 प्रथम पक्ष के पैतृक भूमि है जो ममहारा का है, द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को बेदखल करना चाहते हैं जिस कारण से द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रश्न—

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर क कार्रवाई के टिप्पणी तारी सहित
1	2	3

गत भूमि पर कार्य कर रहे हैं जिसके आलोक में प्रथम पक्ष द्वारा धारा 188 दं0प्र0सं0 के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध आवेदन दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष का केवाला फर्जी है और वे हमेंसा कानून को हाथ में लेकर मार—पीट करने की धमकी देते हैं इसलीए माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायीक दण्डाधिकारी, डालटनगंज के न्यायालय में कम्पलेन केश सं0— 2046/2018 फाईल किये हैं जिसकी सूचना हरिहरगंज थाना को कार्रवाई करने हेतु भेजा गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद मौजा— सतगांवा उर्फ हरिहरगंज, खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 524, रकबा— 0.03 3/4 एकड़ भूमि पर प्रारंभ किया गया है। वाद भूमि को द्वितीय पक्ष के प्रमोद कुमार के द्वारा निबंधित विकय पत्र के द्वारा कय किया गय है जिसमें आवासीय मकान बनाकर रह रहे हैं। द्वितीय पक्ष के प्रमोद कुमार ने निबंधित विकय पत्र सं0— 3527 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा विपक्षी सं0— 2 तरूण कुमार शर्मा पिता— शिव कुमार पाण्डेय से कय

14/2019

appertaining

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के सहित
1	2	3
	किये हैं। प्रश्नगत भूमि खाता सं0— 24, प्लॉट सं0— 524, कुल रकब— 1.68 एकड़ भूमि है जो स्व0 मदन मोहन मिश्र द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं0— 937 दिनांक 10.10.1939 को तारानन्द बैद्य पिता— गणेश बैद्य, ग्राम— सतगांवा उर्फ हरिहरगंज, थाना— हरिहरगंज, जिला— पलामू से क्रय किये थे। कारण पृच्छा में दर्शाये गये वंशावली से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के केता मदन मोहन मिश्र आपस में चार भाई थे जिसमें मदन मोहन मिश्र एवं यदुनंदन मिश्र नावल्द मृत हो चुके हैं। जिस कारण से नियमानुकुल उक्त भूमि का स्वामित्व शिवनंदन मिश्र एवं रघुनंदन मिश्र को प्राप्त हुआ। शिवनंदन मिश्र को केवल तीन पुत्रीयाँ थी तथा रघुनंदन मिश्र के दो पुत्री एवं एक पुत्र थे। रघुनंदन मिश्र के पुत्री शारदा देवी के पुत्र तरूण कुमार हैं जो इस वाद में द्वितीय पक्ष के द्वितीय सदस्य हैं। शिवनंदन मिश्र अपने हिस्से की भूमि अपने जीवनकाल में ही अपने छोटे भाई रघुनंदन मिश्र के नाम से दिनांक 20.02.1978 को वसीयत कर चुके थे। इस तरह अपने हिस्से एवं वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि के कुल रकबा—1.68	

14/2/24

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के ब टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

एकड़ भूमि पर हक एवं स्वामित्व रघुनंदन मिश्र को प्राप्त हुआ। वंशावली के अनुसार तरूण शर्मा जो इस प्रकिया के भूमि के विकेता हैं के नाती हैं। उक्त भूमि का नामांरण अंचल कार्यालय, हरिहरगंज के वाद सं0— 10/1981—82 के द्वारा सम्पूर्ण रकबा— 1.68 एकड़ का नामांतरण रघुनंदन मिश्र के नाम पर हुआ। रघुनंदन मिश्र जब तक जिवीत रहे तब तक उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में रहे तथा उनके मृत्यु के उपरांत उनके पुत्री एवं पुत्र
तथा नाती शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में आये। रघुनंदन मिश्र के दो पुत्रियां एवं एक पुत्र अपने दखल— कब्जे वाले भूमि का मौखिक बटवारा कर शांतिर्पूक दखल— कब्जा में आये। द्वितीय पक्ष के तरूण शर्मा के माता शारदा देवी अपने जीवनकाल में प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि से बिकी कर विकेता को दखल— कब्जा दी तथा केता के नाम से मांग कायम हुआ। प्रथम पक्ष के सदस्यों का कभी भी वाद भूमि पर क्षन भर के लिये दखल— कब्जा नहीं रहा है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के

14/2/19

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, हरिहरगंज के नामांतरण वाद सं0— 10/1981—82 का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष के तरूण कुमार शर्मा के माता— शारदा देवी के पिता रघुनंदन मिश्र के नाम से नामांतरण हुआ है। जिसके साक्ष्य के रूप के रूप में रघुनंदन मिश्र पिता बालमुकुंद मिश्र के नाम से निर्गत लगान रसीद वर्ष 2016— 17 न्यायालय में दाखिल किये हैं, दखल— कब्जा की सम्पुस्टि करता है। अतः प्रकिया अंतर्गत निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त किया जाता है तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है, साथ ही धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 14/1/2024 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। (हस्ताक्षर) 14/1/24 कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.30 15:52:23 +05:30
Location: 192.168.238.105